

9.10.24

पत्रावली पेश। कमील ^{वादी} अर्धी/उध./ कमील ^{वादी} अर्धी ने
 प्रतिवादीगण की रीत. एरी. आन लाईन डिलवरी
 रिपोर्ट पेश की जो व सलग्न पत्रावली है। अर्धीगण
 को बाल-बाल आवाज लगाई गई कि उपाध्य
 गद्दी इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आगल में
 लारी जाती है। कमील वादी को ~~अर्धी~~ वाद अन्तर्गत
 आदेश 9 नियम 9 CPC पर सुना गया। अर्धी न्यायाद्व
 में वादी की ओर से पेश अर्धी पत्र आदेश 9 नियम
 9 CPC का स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद
 प्कार 188 RT. Act मु. न. 11/17 को रेटोर



सहायक कलेक्टर, सांचीर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

निम्न जाने के आदेश दिए जाते हैं। मूल वाद उत्ती
गोखल पर दर्ज है। पत्रावली के मूल शुभारंभ है
दार्जिल प्रस्ताव हो व गोखल ले का है।

सहायक कलेक्टर, सांघौर
विपखण्ड अधिकारी, सांघौर